



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

G2G

पत्रांक- 2016 /12-1 :देहरादून:दिनांक: 10 फरवरी, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

वन अनुभाग-03

विषय:-जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा धारचूला में रांथीगांव से बोरगांव तक
मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी० तक निर्माण हेतु 0.275 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु
लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/9429/2015)

सन्दर्भ:-वन अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-250/X-3-21/1(16)/2021 दिनांक 23.03.2021
एवं इस कार्यालय की पत्र संख्या-1260 दिनांक 22.10.2024 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण में शासन द्वारा सैद्धान्तिक
स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या हार्ड प्रति में इस कार्यालय के सन्दर्भित
पत्र द्वारा पूर्व में शासन को प्रेषित की गयी है, जिस क्रम में शासन से प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का
अनुरोध किया गया है। वर्तमान में प्रस्तावक विभाग के स्तर से अनुपालन आख्या ऑनलाईन नोडल कार्यालय को
प्राप्त हुई है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि
प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत
किये जाने हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करना चाहें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddh@gmail.com,

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- 1260 /12-1 :देहरादून

दिनांक 22 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।
वन अनुभाग-03

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के राज्य योजना अन्तर्गत विधानसभा घासचूला में रांशी गांव से मोसगांव तक मोटर मार्ग लम्बाई 200 किमी0 निर्माण हेतु 0.275 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 250/X-3-21/1(16)/2021 दिनांक 23.03-2021।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसकी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 880/12-1(2), दिनांक-05.10.2024 जो कि निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र. सं.	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथाराशोधित) जमा की जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु0 1,33,100.00 मात्र ऑनलाईन बालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा नोम में जमा कर दी गयी है। बालान की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0रा0-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0री0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0रा0-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0री0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रु0 180,675.00 मात्र जमा कर बालान रसीद संलग्न कर प्रेषित की गयी है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बयनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि राक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी की दर से बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रस्ताव विभाग द्वारा शर्त मान्य है। (संलग्नक-2)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या -05-03/2007-एफ0री0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 एरा0वी0 -25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक -11 भूतल री0जी0ओ0 कामपलेक्स फेज-01 लोधी रोड नई दिल्ली 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशिकर मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा एन0पी0वी0 तथा प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की रसीद की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-3)

	होगी।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा शर्त का अनुपालन जायेगा। (संलग्नक-4)
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखी/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखी/प्रमाण पत्र संलग्न प्रेषित है। (संलग्नक-5)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को गिरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मनवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तथ्य सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर गलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य कार्य किया जाएगा। मनवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थितीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। गलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा आख्या पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रतत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- 1260 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
- 2-प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
- 3-अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अरकोट, पिथौरागढ़।





(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।

[https://roborescue.nyu.edu/~frazee/papers/2016-ROA.pdf](#)

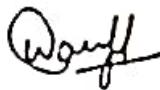
प्रपत्र-43

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत बिकारा खण्ड धारचूला के रांथी से बोरगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 2.00 किमी०)

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी


J6
CD, PWD
Alkore


सहायक जे०पी०
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)


अतिरिक्त/अतिरिक्त
मार्ग खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)

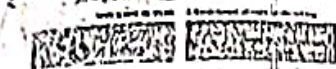
प्रो० ए० ए० ए०


अतिरिक्त ()
लो०नि०वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)

1260 / 12-1

AGENCY COPY

नियोजन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-07-2023

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6194200191
MoEF/SO File No.	1(15)/2021
Location.	UTTARANCHAL
Address.	cd pwd askote Pithoragarh
Amount(In Rs)	313775/-

Amount In Words : Three Lakh Thirteen Thousand Seven Hundred and Seventy-Five Rupees Only

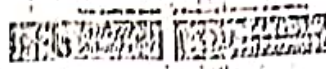
NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896194290191 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India, FCS Centre, 21/1, III Floor, Jalita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only.

BANK COPY

नियोजन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-07-2023

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6104200191
MoEF/SO File No.	1(10)/2021
Location.	UTTARANCHAL
Address:	cd pwd askote Pithoragarh
Amount(In Rs)	313775/-

Amount In Words : Three Lakh Thirteen Thousand Seven Hundred and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896194290191 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India, FCS Centre, 21/1, III Floor, Jalita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only.

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference Id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurso@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR: SBAN123338313650

अध्यक्ष अभियन्ता
निर्माण एवं कोऑर्डिनेटि
अस्सेट विभाग
10/07/2023

Executive Engineer
Construction Division, PWD
Askote (Pithoragarh)
Date No. 1883

संलग्नक - 4 (54)

योजना का नाम:-

प्रपत्र-27

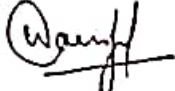
जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रांथी से बोरगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 2.00 किमी०)

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह०/-

(प्रयोक्ता एजेन्सी)


Jun. Engineer
CS, PWD
Askote


अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
अस्कोट (पिथौरागढ़)

सि.एस.डी. (अधीक्षक)


अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
अस्कोट (पिथौरागढ़)


अधीक्षक अभियन्ता ()
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
अस्कोट (पिथौरागढ़)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बौरा गोंय तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - रौंथी, तहसील- धारचूला, जिला- पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाणपत्र

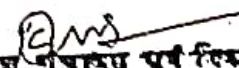
पिथौरागढ़ में जनपद - पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बौरा गोंय तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.275 हे० सिविल सौयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 0.275 हे० वन भूमि का निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट विभाग / रास्ता के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रौंथी द्वारा दिनांक 20-11-2014 को सम्मान ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कच्चा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कच्चा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रौंथी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

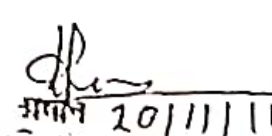
ह0/-

ग्राम सचिव

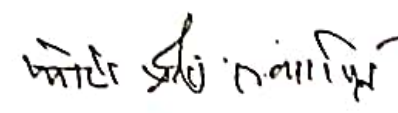

ग्राम पंचायत रौंथी
विभाग-
वि. व. धारचूला

ह0/-

ग्राम प्रधान


ग्राम रौंथी
वि. व. धारचूला (पिथौरागढ़)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका वियरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।



उपस्थित अभियन्ता ()
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
अस्कोट (पिथौरागढ़)

प्रपत्र-23.1

दिनांक 20-11-14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत - रोधी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	नाम लिखें
1-	भैरव सिंह	(ग्रामपंचायत)
2-	श्रीमान कोसल	श्रीमान कोसल
3-	देव सिंह कोसल	देव सिंह कोसल
4-	परम सिंह	परम सिंह
5-	भैरव सिंह	भैरव सिंह
6-	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
7-	नार सिंह	नार सिंह
8-	राज सिंह	राज सिंह
9-	रघु सिंह	रघु सिंह
10-	राम सिंह	राम सिंह
11-	पान सिंह	पान सिंह
12-	राम सिंह	राम सिंह
13-	रतन सिंह	रतन सिंह
14-	नारायण सिंह	नारायण सिंह
15-	हेम सिंह	हेम सिंह

प्रो. श्रीमान

सहायक अभियन्ता ()
निर्माण खण्ड लो0नि0मि
असुरेड (पिपौरा)

ह0/-
ग्राम प्रधान श्रीमान 20/11/14
क्षेत्र पंचायत रोधी
लि0-खण्ड, देहरादून (पिपौरा)

परियोजना का नाम :-

जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बोर गौंव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धारचूला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बोर गौंव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी। (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.275 हे० सिविल एवं सौम्य वन भूमि 0.00 हे० वन भूमि) अर्थात् कुल 0.275 हे० वन भूमि) का निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अरकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील - धारचूला) की दिनांक 01-12-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता श्री प्रमोद कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|-------------------|---------------------------|--------------|------------|
| 1- | श्री प्रमोद कुमार | उपजिलाधिकारी | प्रमोद कुमार | अध्यक्ष |
| 2- | श्री | उप प्रभागीय वनाधिकारी | | सदस्य |
| 3- | श्री जीतराम आर्य | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | जीतराम आर्य | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री सूरिदास जोरा | बी०डी०सी० क्षेत्र | सूरिदास जोरा | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बोर गौंव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी। परियोजना हेतु 0.275 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अरकोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लपित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं संसदीय नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सभा में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बोर गौंव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी। परियोजना के निर्माण हेतु 0.275 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अरकोट प्रयोक्ता

मोहरे

सहायक अभियन्ता ()
निर्माण खण्ड लो०नि०वि

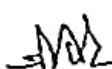
(45)

एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किया जान पर सम्मति व्यक्त की गयी।

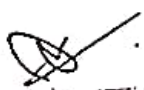

उप जिलाधिकारी

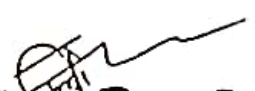
उप जिलाधिकारी / उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-धारचूला
जनपद - पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सहायक समाज कल्याण अधिकारी
धारचूला-(पिथौरागढ़)

मेनादे देव लक्ष्मी


जिलाधिकारी
पिथौरागढ़ जिला
देहरादून जिला


उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी / उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-धारचूला
जनपद - पिथौरागढ़

प्रपत्र-23.3

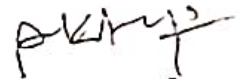
परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से दोरा गोंव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद-पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से दोरा गोंव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी। परियोजना के निर्माण हेतु 0.275 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अरकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड रतारीय वन अधिकार समिति धारचूला तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व सलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह०/-

जिलाधिकारी


जिला अधिकारी
पिथौरागढ़

नोट :- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।
सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारंपण लाईन, ओ०एफ०सी० कंविन, पाईपलाइन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण-पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ सलग्न नहीं किये जाने हैं।
उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 सलग्न किया जायेगा।

प्रो. ए. व. ए. ए. ए.


सहायक जिलाधिकारी ()
निर्माण खण्ड को० वि०
अखण्ड (पिथौरागढ़)

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बोरा गोंव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी.।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद - पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला के रौंथी से बोरा गोंव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 कि.मी.। परियोजना के निर्माण हेतु 0.275 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अस्कोट (प्रयाग एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारंपण लाईन, ओ०एफ०सी० कैंविल व पाईपलाईन विछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

प्रमाणित

CM

सहायक अभियन्ता ()
निर्माण एवं लो०नि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)

acty
ह० जिला अधिकारी
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम :-

प्रपत्र-23.2

जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला के रौंथी से योरागोंव तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.000 किमी0 हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत मनगारी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़।

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला के रौंथी से योरागोंव तक मोटर मार्ग (लम्बाई 2.000 कि0मी0) (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.275 हे0 सिविल एवं रोडम वन भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.275 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत मनगारी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील धारचूला) की दिनांक 6.12.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ... जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ... अध्यक्ष, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 2- श्री ... सदस्य, प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 3- श्री ... सदस्य/सचिव, जिला समाज कल्याण अधिकारी।
- 4- श्रीमती ... सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र ...।
- 5- श्री ... सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र ...।
- 6- श्री ... सदस्य, जिला पंचायत, क्षेत्र ...।

सचिव, द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रौंथी से योरा गोंव मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.00 कि0मी0) परियोजना हेतु 0.275 हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विकासखण्ड धारचूला के रौंथी से योरागोंव तक मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 2.000 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु 0.275 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में राक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

जिलाधिकारी (अधीन) पिथौरागढ़।
पिथौरागढ़

जिला पंचायत सदस्य (सदस्य)
सदस्य जिला पंचायत
(01 सिदीग) धारचूला
पिथौरागढ़

प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य)
पिथौरागढ़

जिला पंचायत सदस्य (सदस्य)
पिथौरागढ़

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला सदस्य/सचिव
पिथौरागढ़।

जिला पंचायत सदस्य (सदस्य)
जिला पंचायत - धारचूला
पिथौरागढ़।

FROM -1
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR PITHORAGARH
Dated.. 6.11.2013...

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no. 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes and with MOEF's letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.275 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Construction Division P.W.D. Askote) for Construction of Ranthi to Boragaon Motor Road (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh Distt. falls within jurisdiction of Ranthi (Boragaon) Village in Dharchula Tahsils.
It is further certified that:-

- The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire 0.275 hectares area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) sub-division level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required as required under section 3 (2) of FRA have been completed and the Gram Shabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural at communities

Encl: As above

मोटे हरी (रुम पि)

सहायक जमीनदा ()
निर्माण एवं लोकनिधि
अस्कोट (पिथौरगढ़)

Signature

(Full Name of the official
seal of the District Collector)

Further certified that :

Sl. No.		
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 0.275 of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee are enclosed as annexure I to annexure.	Yes. Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate of concerned motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

Encl: As above

Signature

(Full Name of the official seal of the District Collector)

27/11/18
अधिकासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड सोनिवि
अकोट (पिपौरगड)

जिला सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड सोनिवि
अकोट (पिपौरगड)

मोटे री अभियन्ता

अभियन्ता ()
निर्माण खण्ड सोनिवि
अकोट (पिपौरगड)

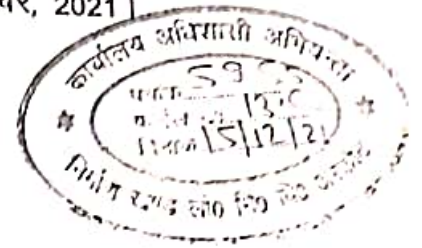
कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964-225234

पत्रांक:- 5006 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 10 दिसम्बर, 2021।

प्रति,

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अस्कोट, पिथौरागढ़।



विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में राज्य योजना अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला में रांथी से बोरा गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.275 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरूप डिमान्ड नोट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- वन अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक सं0 250/X-3-21/1(16)/2021 दिनांक 23.03.2021।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आप उत्तराखण्ड शासन के आदेशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें एवं उक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु सं0 1 व 2 के क्रम में उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	0.275 हे0	6,57,000/- (ईको क्लास-V) घनत्व 0.2	1,80,675.00/-
2	आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण	100 वृक्ष	1331/वृक्ष	1,33,100.00/-
योग				3,13,775.00/-

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

सं0 310 धारचूला / Amol

[Signature]

सं0 310
15/12/21

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।